रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1975/भाद्र 5, 1897

No. 168] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1975/BHADRA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th August, 1975

No. 34-ETC(PN)/75.—Following the issue of new development-oriented design coins of the denomination of Rs. 50/- and Rs. 10/- in uncirculated quality and Paise 10 (production coin) to mark the year 1975, as International Women's year designated by the United Nations, it has been decided that export of these coins would be regulated as follows:—

(1) That proof coins (or proof-set) of 1975 will not be permitted to be exported for commercial purposes by anyone other than India Government Mint, Bombay.

(2) That the Rs. 50/- and Rs. 10/- coins and 10 Paise coins with development-oriented design in uncirculated quality will be allowed to be exported subject to a minimum price of Rs. 60/-, Rs. 15/- and 25 Paise respectively, per coin FOB.

(3) That no licence will be necessary for gifts (i.e. non-commercial purposes) upto a total of 2 coins each of the said Rs. 50/-, Rs. 10/- and 10 Paise.

(4) That passengers going abroad may take with them for purposes of presentation 2 pieces each of the said Rs. 50/- and Rs. 10/- coins.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

सं० 34-ई० टी० सी० (पी० एन०) 75.—चूंकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 1975 वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने का है, अत: अप्रचलित क्वालिटी में 50 रुपए और 10 रुपए तथा 10 पैसे (उत्पादन सिक्के) के मूल्यमान में नए विकास प्रभिमुख डिजाइन के सिक्कों को जारी करने के अनुसरण में यह निश्चय किया गया है कि इन सिक्कों के निर्यात को इस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा :—

(1) यह कि 1975 के प्रूफ सिक्कों (या प्रूफ-सेट) के लिए भारत सरकार के टकसाल, बम्बई को छोड़ कर अन्य फर्मों के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निर्यात करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(2) यह कि अप्रचलित क्वालिटी में विकास प्रभिमुख डिजाइन के साथ 50 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों एवं 10 पैसे के सिक्कों को कम से कम क्रमश: 60 रुपए, 15 रुपए और 25 पैसे प्रत्येक सिक्के की जहाज पर निशुल्क कीमत के अधीन निर्यात करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

(3) यह कि उक्त 50 रुपए, 10 रुपए, एवं 10 पैसों के प्रत्येक दो-दो सिक्कों तक के उपहार (अर्थात गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों) के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) यह कि विदेश में जाने वाले पर्यटक प्रदर्शन हेतु अपने साथ उक्त प्रत्येक 50 रुपए एवं 10 रुपए के दो-दो सिक्के ले जा सकते हैं।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975